राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान

NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING

आईएसओ 9001 : 2015 प्रमाणित/ISO 9001 : 2015 Certified

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)

(An autonomous Institution under Deptt. of SE&L, Ministry of Education (MoE), Govt. of India)

File No. 161-20/2024/VOC/ 30th April, 2024

NOTIFICATION- 8/2024

This is in continuation to the notification 25/2023 dated 30/08/2023, following are notified:

1. The scheme of integration of vocational courses with academic subjects is applicable **only** for Stream I of the Academic admission cycle. The learners taking admission in other streams (II, III and IV) will not be able to opt for this scheme.
2. The learners who are taking admission under the scheme of integration of vocational courses with academic subjects will be allowed to accrue the Internal Assessment (IA) only **once** during the first year of admission when the Personal Contact Programme (PCP) is being conducted at the Accredited Institute (AI). No marks shall be awarded for Internal assessment, if a learner does not participate in a PCP.
3. If a learner passes in one component (theory, practical or internal assessment), the marks in that component will be retained. The learner is not required to re-appear in the passed component again.
4. When the learner fails to qualify in a component (Theory or Practical) for any reason, she/he can re-appear in the test after paying the required examination fee as per the schedule of examination as notified from time to time.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Shakeel

(Col. Shakeel Ahmad)
Director I/c (Vocational Education)

Distribution:

- The Heads of the Departments
- All Regional Directors (for kind information and necessary action)
- SA/P for doing the needful and uploading on NIOS portal
- PA to Chairperson, for kind information of Chairperson, NIOS

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING
आईएसओ 9001 : 2015 प्रमाणित/ISO 9001 : 2015 Certified
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)
(An autonomous Institution under Deptt. of SE&L, Ministry of Education (MoE), Govt. of India)

फा.सं. 161-20/2015/व्यावसायिक/

30 अप्रैल, 2024

अधिसूचना - 8/2024

अधिसूचना 25/2023 दिनांक 30/08/2023 के क्रम में निम्नांकित को अधिसूचित किया जाता है :

1. शैक्षिक विषयों के साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के एकीकरण की योजना शैक्षिक प्रवेश अवधि में केवल स्ट्रीम-I के लिए लागू है। अन्य स्ट्रीम (II, III और IV) में प्रवेश लेने वाले शिक्षार्थी इस योजना का विकल्प नहीं चुन सकेंगे।
2. वे शिक्षार्थी जो शैक्षिक विषयों के साथ एकीकृत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की योजना के अंतर्गत प्रवेश लेते हैं उन्हें प्रत्यायित संस्था (एआई) में प्रवेश के प्रथम वर्ष में आयोजित किए जाने वाले व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम के दौरान केवल एक बार आंतरिक मूल्यांकन अर्जित करने की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई शिक्षार्थी पीसीपी में भाग नहीं लेता है तो वह आंतरिक मूल्यांकन के अंक नहीं प्राप्त कर सकेगा।
3. यदि कोई शिक्षार्थी किसी एक घटक (सिद्धांत, प्रायोगिक अथवा आंतरिक मूल्यांकन) में उत्तीर्ण होता है तो उस घटक के अंक सुरक्षित रहेंगे। शिक्षार्थी को उत्तीर्ण किए गए घटक में फिर से परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है।
4. जब शिक्षार्थी किसी कारणवश किसी घटक (सिद्धांत अथवा प्रायोगिक) में अर्हता प्राप्त करने में विफल होता है तो वह समय-समय पर अधिसूचित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अपेक्षित परीक्षा शुल्क का भुगतान कर परीक्षा में फिर से उपस्थिति हो सकता/सकती है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

शकील

(कर्नल शकील अहमद)
निदेशक (प्रभारी)
(व्यावसायिक शिक्षा)

वितरण :

1. सभी विभागाध्यक्ष
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक (सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु)
3. एसए/पी - आवश्यक कार्रवाई करने और एनआईओएस पोर्टल पर अपलोड करने हेतु
4. अध्यक्ष महोदया, एनआईओएस के सूचनार्थ निजी सहायक (अध्यक्ष कार्यालय)

ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-62, नोएडा-201309 (उ.प्र.) • दूरभाष : 0120-4089800/0120-4626900
A-24-25, Institutional Area, Sector-62, NOIDA-201309 (U.P.) • Phone : 0120-4089800/0120-4626900 • Website: www.nios.ac.in